

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 133]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 24 मार्च 2016—चैत्र 4, शक 1938

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2016

क्र. 5032-86-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 22 मार्च 2016 को राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १० सन् २०१६

मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०१६

[दिनांक २२ मार्च, २०१६ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक २४ मार्च, २०१६ को प्रथम बार प्रकाशित की गई].

वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम, २०१६ है.

वित्तीय वर्ष २०१५-१६ के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १६,२७,७०,०६,४०० का दिया जाना.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये एक हजार छः सौ सत्ताईस करोड़ सत्तर लाख छः हजार चार सौ केवल होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१५-२०१६ के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारत रुपये	योग रुपये
११.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	राजस्व ४६,६१,८००	०	४६,६१,८००
१२.	ऊर्जा	राजस्व ०	२,६०,१९,७५,०००	२,६०,१९,७५,०००
१७.	सहकारिता	राजस्व २,०४,७०,३४,०००	०	२,०४,७०,३४,०००
२५.	खनिज साधन	राजस्व ०	३५,००,५२,०००	३५,००,५२,०००
२८.	राज्य विधान मंडल	राजस्व १,४०,००,०००	०	१,४०,००,०००
२९.	विधि और विधायी कार्य	राजस्व १००	०	१००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व	८,००,००,००,०००	०	८,००,००,००,०००
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	पूंजी	०	२,८३,५००	२,८३,५००
७५.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	३,२५,९०,००,०००	०	३,२५,९०,००,०००
योग		राजस्व	१३,३२,४६,९५,९००	२,९५,२०,२७,०००	१६,२७,६७,२२,९००
		पूंजी	०	२,८३,५००	२,८३,५००
		वृहद योग	१३,३२,४६,९५,९००	२,९५,२३,१०,५००	१६,२७,७०,०६,४००

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2016

क्र. 5032-86-इक्कीस-अ-(प्रा.)-अधि.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2016 (क्रमांक 10 सन् 2016) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 10 OF 2016

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION ACT, 2016.

[Received the assent of the Governor on the 22nd March, 2016; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 24th March, 2016].

An Act to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2015-2016.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-Seventh year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation Act, 2016.

Issue of Rs. 16,27,70,06,400 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2015-2016.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of rupees One thousand six hundred Twenty seven crores seventy lakhs six thousands four hundred towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2015-2016 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
11	Commerce, Industry and Employment	Revenue 46,61,800	0	46,61,800
12	Energy	Revenue 0	2,60,19,75,000	2,60,19,75,000
17	Co-operation	Revenue 2,04,70,34,000	0	2,04,70,34,000
25	Mineral Resources	Revenue 0	35,00,52,000	35,00,52,000
28	State Legislature	Revenue 1,40,00,000	0	1,40,00,000

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
29	Law and Legislative Affairs Revenue	100	0	100
58	Expenditure on Relief on account of Natural Calamities and Scarcity Revenue	8,00,00,00,000	0	8,00,00,00,000
66	Welfare of Backward Classes Capital	0	2,83,500	2,83,500
75	Financial assistance to Urban Bodies Revenue	3,25,90,00,000	0	3,25,90,00,000
Total ..				
	{ Revenue ..	13,32,46,95,900	2,95,20,27,000	16,27,67,22,900
	{ Capital ..	0	2,83,500	2,83,500
Grand Total ..		13,32,46,95,900	2,95,23,10,500	16,27,70,06,400